किस्म अपील ..... सरस्वती वगैरह उनवान अतरसिंह वगैरह .....

ालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

26/02/21	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। 26.02.21 (सुरेश कुमार यादव) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं0 18/2010 तारीख रजू:– 24.09.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. सरस्वती पुत्री गिर्राज पत्नि रामधार जाति जाट निवासी रायपुर तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर
2. ढकेली पुत्री गिर्राज पत्नि जियालाल जाति जाट निवासी रायपुर तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर
3. लीला पुत्री गिर्राज पत्नि सुगरसिंह जाति जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा
4. चोटया पुत्री गिर्राज पत्नि वीरसिंह जाति जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा ———————————— अपीलान्टस

बनाम

1. अतरसिंह पिसरान गिर्राज जाति जाट निवासी खेडा
2. जवालासिंह तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
3. महाराजसिंह
4. सरपंच, ग्राम पंचायत खेडा जमालपुर पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली
5. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली———————————— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण सं0 340 दिं020.07.2004 सरपंच ग्राम पंचायत खेडा जमालपुर

उपस्थितः– श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट अपीलान्टस
श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट सं01,5
श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट सं0 2,4
श्री बनवारीलाल गोस्वामी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट सं03

निर्णय दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर [illegible] किया है कि खाता संख्या 66 की आराजी खसरा नम्बर 553,563,56[illegible],65[illegible] [illegible] किता 4 कुल रकबा 1.72 है0 व खसरा नम्बर 512 रकबा [illegible] है0, 513 र[illegible] 0.10 है0, 540 रकबा 0.38 है0, 859 रकबा 0.72 है0, 892 रकबा 0.10 है0 तथा खाता संख्या 172 की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

किता कुल रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.79 है0, 180 रकबा 0.64 है0, खाता संख्या 398 की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 0.45 है0 स्थित ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन है, जो अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं01 ता 3 के पिता गिर्राद प्रसाद पुत्र मुण्डा की खातेदारी व सहखातेदारी की भूमि रही है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नं01 ता 3 के पिता गिर्राज पुत्र मुडा का स्वर्गवास होने पर मुतजिका मद नं01 अपील में वर्णित आराजीयात का गिर्राज की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय रेस्पोडेन्ट नं04 ने रेस्पोडेन्ट सं01 ता 3 से साजकरके विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्टस के नाम को हटाते हुए उक्त नामान्तकरण दिनांक 20.07.2004 को तस्दीक कर दिया जो विधि विरूद्ध व अवैधानिक होने से निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नं01ता 3 के पिता गिर्राज की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नं01 ता 3 व उनकी माँ पीतम बेबा गिर्राज के हक में बिल्कुल सही व मुताविक कानून दिनांक 20.06.2004 को गिर्राज की विरासत के अनुसार विधि अनुकूल खोला गया, लेकिन रेस्पोडेन्ट नं04 ने वसाज रेस्पोडेन्टस नं01 ता 3 उक्त नामान्तकरण से अपीलान्टस के नाम हटाकर अवैधानिक रूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट्स नं01 ता 3 के हक में तस्दीक कर दिया जो खिलाफ कानून होने से जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खेडा जमालपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण को तस्दीक करते समय अपीलान्टस के नाम हटाने का कोई कारण नामान्तकरण की पुश्त पर दर्ज नहीं किया और ना ही ऐसा कोई कारण बताया कि अपीलान्टस का नाम मृतक गिर्राज की विरासत से क्यों हजफ किया गया। जबकि कानूनन रेस्पोडेन्ट नं04 को गिर्राज की विरासत के नामान्तकरण से अपीलान्टस के नाम हटाने का कोई अधिकार हासिल नहीं था, इसलिए उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नं04 द्वारा बसाज रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 3 बिल्कुल खिलाफ कानूनी मनमर्जी तरीके से तस्दीक किये जाने से अपीलाधीन नामान्तकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण मजमे आम में तस्दीक न किया जाकर और अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाकर अपीलान्टस की बेक पर खिलाफ कानून गिर्राज की विरासत से अपीलान्टस का नाम ह[illegible]के विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक किया गया है, जो जेरे अ[illegible] है।

अपील के मद नं04 में दर्ज [illegible] है कि पीतम बेबा गिर्राज का भी सन् 2014 में स्वर्गवास हो [illegible] गिर्राज पुत्र मुण्डा के वर्तमान में जीवित वारिसान अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नं01 ता 3 ही है तथा अपीलान्टस अपने पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

र्राज व अपनी मॉ पीतम की मृत्यु के बाद से ही गिर्राज द्वारा छोडी गई आराजीयात पर अपने हिस्सानुसार काबिज व दखील चले आ रहे हैं। इसलिए भी अपीलाधीन नामान्तकरण खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 553 रकबा 0.40 है0, 563 रकबा 0.43 है0, 564 रकबा 0.45 है0, 565 रकबा 0.44 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 है0 गिर्राज पुत्र मुण्डा की खातेदारी की भूमि रही है, जिसमें गिर्राज की विरासत के अनुसार, गिर्राज के फौत होने पर अपीलान्टस् का 4/8 हिस्सा तत्पश्चात अपीलान्टस के मॉ पीतम एवं गिर्राज के फौत होने पर उक्त आराजीयात में अपीलान्टस का 4/7 हिस्सा व हिस्सा बराबर मुताविक कानून है, जिसे रेस्पोडेन्टस नं0 1 ता 3 द्वारा अपीलान्टस के पिता गिर्राज की मृत्यु होने पर बसाज रेस्पोडेन्ट नं04 उसके विरासत का नामान्तकरण अपने हक में खिलाफ कानूनन तस्दीक कराकर उसकी खातेदारी अपने नाम कराकर अपीलान्टस को उक्त भूमि में उनके हक व अधिकार की भूमि से बंचित करने की गरज से खिलाफ कानून दीगर लोगों को विक्रय करने पर आमादा है और रेस्पोडेन्ट नं01 ने रेस्पोडेन्ट नं05 को उक्त आराजीयात के कुछ खसरा नम्बरान में से भूमि विक्रय कर दी, जो बमुकाबले अपीलान्टस नल एण्ड बोईड होने से प्रभावहीन है। इससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 उक्त भूमि को खिलाफ कानून विक्रय कर अपीलान्टस को उनके हक व विरासत की भूमि से वंचित करने पर आमादा है। इसलिए भी अपीलाधीन नामान्तकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं06 में दर्ज किया है कि अपीलान्टस को अपने पिता गिर्राज से विरासत में प्राप्त हुई भूमि में अपने हिस्से की भूमि का के0सी0सी0 लेने हेतु जमाबन्दी की आवश्यकत पडने पर अपीलान्टस द्वारा दिनांक 17.09.2020 को जमाबन्दी की नकल लेने पर जमाबन्दी में गिर्राज की विरासत में अपना नाम नहीं देखकर आश्चर्य हुआ जिस पर कानूनी सलाह लेकर उक्त नामान्तकरण नकल लेने हेतु आवेदन पर दिनांक 19.09.2020 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त हुई। जिसको देखने पर अपीलान्टस को उक्त सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्टस को उक्त नामान्तकरण का कोई इल्म नहीं था, इसलिए अपील इल्म की तिथि से अन्दर मियाद पेश है। बरफाये हुज्जत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 340 दिनांक 20.07.2004 ग्राम पंचायत खेडा जागीर ... विरासत निरस्त फरमाया जाकर मृतक गिर्राज व पीतम बेवा गिर्राज की विरासत का नामान्तकरण अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 के नाम खोला ... तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 340 फैंसल दिनांक 20.07.2004, नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 62, नकल जमाबन्दी सं0 2063 –66, नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 किता–2, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सं0 08107005220006800034/2015 दिनांक 07.11.2017 पीतम देवी पत्नि गिर्राज निवासी खेडा का पेश किया है जिसमें मृत्यु दिनांक 26.09.2014 को होना अंकित है।

वकील रेसपोडेन्ट सं01 व 5 के अधिवक्ता श्री राधेश्याम ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति स्टाम्प कीमती 100/– रूपया शपथ पत्र बाबत् दिये जाने कब्जा , अतरसिंह पुत्र गिर्राज जाट निवासी खेडा, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं. 438 फैंसल दिनांक 21.06.2007 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस अवगत कराया है कि विवादित आराजीयात का नामान्तकरण सं0 340 फैंसल दिनांक 20.07.2004 सरपंच ग्राम पंचायत खेडा द्वारा सही तस्दीक किया गया है। क्योंकि विवादित आराजीयात पर अपीलान्टस का कब्जा नहीं है। मृतक गिर्राज ने अपने जीवित रहते हुए उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 को दे दिया है। इसलिए मृतक गिर्राज के स्थान पर रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 के हक में नामान्तकरण सं0 340 सही भरकर तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील का समय भी निकल चुका है। अपीलान्टस ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है। जो खारिज फरमायी जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल नामान्तकरण सं0 340 फैंसल दिनांक 20.07.2004 के अनुसार मृतक गिर्राज के फौत होने पर उसके वारिसान अतरसिंह ज्वालासिंह महाराजसिंह पि0 गिर्राज पीतम बेबा गिर्राज, सरस्वती ढकेली लीला चोटया पुत्रियॉ गिर्राज जाति जाट के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है किन्तु उक्त नामान्तकरण की पुश्त पर सरपंच ग्राम पंचायत खेडा जमालपुर ने अंकित किया है कि आज दिनांक को नामान्तकरण पेश किया गया कॉलम सं0 7 के बजाय इन्द्राज सरस्वती ढकेली लीला चोटया का नाम हटाते हुए स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण श्री रत्तीराम मीना सरपंच ग्राम पंचायत खेडा जमालपुर पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा दिनांक 20.07.2004 को स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 62 के अनुसार खसरा नम्बर 553 रकबा 0.40 है0, 563 रकबा 0.43 है0, 564 रकबा 0.45 है0, 565 रकबा 0.44 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

गिर्राज पुत्र मुण्डा जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 340 –विरासत 20.07.2004 के अनुसार गिर्राज के स्थान पर अतरसिंह, ज्वालासिंह,महाराजसिंह पि0 गिर्राज व पीतम बेवा गिर्राज हि0ब0 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2063 –66 के अनुसार खसरा नम्बर 553 रकबा 0.40 है0, 563 रकबा 0.43 है0, 564 रकबा 0.45 है0, 565 रकबा 0.44 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अतरसिंह, ज्वालासिंह, महाराजसिंह पि0 गिर्राज, पीतम बेवा गिर्राज हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 438 दिनांक 21.06.2007 से खसरा नम्बर 563 रकबा 0.43 है0 व खसरा नम्बर 564 का 13/45 की खातेदारी निहालसिंह फतेहसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अनुसार खसरा नम्बर 564 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम खेडा की खातेदारी ज्वालासिंह पुत्र गिर्राज हिस्सा 8/45 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 8/45 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेडा, निहालसिंह पुत्र श्यामलाल हि0 13/90 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 13/90 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेडा, पीतम पत्नि गिर्राज हि0 8/45 जाति जाट सा0देह खातेदार, फतेहसिंह पुत्र श्यामलाल हि0 13/90 जाति जाट सा0देह खातेदार, महाराजसिंह पुत्र गिर्राज हिस्सा 8/45 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 8/45 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेडा, सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह हि0 8/45 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अंनुसार खसरा नम्बर 553 रकबा 0.40 है0, 565 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम खेडा की खातेदारी ज्वालासिंह पुत्र गिर्राज हि0 1/4 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेडा, पीतम पत्नि गिर्राज हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0देह खातेदार, महाराजसिंह पुत्र गिर्राज हि0 1/4 जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेडा, सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सं0 08107005220006800034/2015 दिनांक 07.11.2017 पीतम बेवा गिर्राज निवासी खेडा का पेश किया है जिसमें मृत्यु दिनांक 26.09.2014 को होना अंकित है।

वकील रेस्पोडेन्ट सं01 व 5 के अधिवक्ता श्री राधेश्याम ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति स्टाम्प कीमती 100/– रूपया शपथ पत्र बाबत् दिये जाने कब्जा का पेश किया है जिसमें अंकित किया है कि अतरसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी खेडा तहसील हिण्डौन बहल्फ बयान करता हूँ कि मैने मेरी संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 553 रकबा 0.40 है0, 565 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन का 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 564 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम खेडा का 8/45 भाग दिनांक 13.08.2020 को सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुबलिग 3 लाख रूपये में विक्रय किया था, जिसका हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद सुरेन्द्रसिंह के नाम हो चुका है। मै मेरी उक्त संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि मे खसरा नम्बर 553 के उत्तर दिशा की तरफ 1/4 हिस्सा भगवानसिंह गुर्जर के रिहायशी मकान के चरपेटवा तथा खसरा नम्बर 565 मे उत्तर दिशा की तरफ 1/4 हिस्सा निहालसिंह फतेहसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट के खेत के चरपेटवा तथा खसरा नम्बर 564 मे पूर्व दिशा की तरफ 8 एयर जमीन जो रतनसिंह के खेत के चरपेटवा है पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। जो मेरा कब्जा उक्त सम्मिलित भूमि पर चला आ रहा था, वहीं कब्जा मौके पर जाकर सुरेन्द्रसिंह को दिनांक 13.08.2020 को मैने संभलाया है। यह अलग से नजरी नक्शा में दर्शाया गया है, जो शपथ पत्र का भाग है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं. 438 फैंसल दिनांक 21.06.2007 के अनुसार खसरा नम्बर 563 रकबा 0.43 है0, 564 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम खेडा का अतरसिंह ज्वालासिंह महाराजसिंह पि0 गिर्राज पीतम बेबा गिर्राज हि0बराबर खातेदार के स्थान पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार निहालसिंह फतेहसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी ग्राम हिस्सा 13/45, शेष हिस्सा 32/45 बदस्तूर रहा दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 एवं उनकी मॉ पीतम बेबा गिर्राज को नामान्तकरण सं0 340 फैंसल दिनांक 20.07.2004 के आधार पर मृतक गिर्राज पुत्र मुण्डा जाति जाट निवासी खेडा से विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है। गिर्राज से विरासत में प्राप्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 एवं उनकी मॉ पीतम बेबा गिर्राज के द्वारा खसरा नम्बर 563 रकबा 0.43 है0, 564 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम खेडा में से हिस्सा 13/45 भाग की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निहालसिंह फतेहसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी खेडा को बेचान कर दिया है तथा मौके पर कब्जा करा दिया है। तथा खसरा नम्बर 553 रकबा 0.40 है0, 565 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 स्थित ग्राम खेडा में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 अतरसिंह ने अपने हिस्सा 1/4 भाग की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं05 सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह को बेचान कर दिया है जिसका अतरसिंह पुत्र गिर्राज के स्थान पर [illegible] सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0देह के नाम जमाबन्दी सं0 71 से 74 में दर्ज हो चुकी है तथा तथा खसरा नम्बर 564 रकबा 0.44 [illegible] स्थित ग्राम खेडा में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 अतरसिंह ने अपने हिस्सा 8/45 भाग की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं05 सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह को बेचान कर दिया है जिसका अतरसिंह पुत्र गिर्राज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

स्थान पर खातेदारी सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 8/45 जाति जाट सा0देह के नाम जमाबन्दी सं0 2071 से 74 में दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 3 एवं रेस्पोडेन्ट नं01 के द्वारा पृथक पृथक रूप से किये गये उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर फतेहसिंह, निहालसिंह पि0 श्यामलाल जाट एवं सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट के हक में विक्रय की गई भूमियों जिनके वे वर्तमान में खातेदार काश्तकार हैं तथा फतेहसिंह व निहालसिंह को उक्त अपील में अपीलान्टस के द्वारा पक्षकार भी नहीं बनाया गया है की भूमियों को छोडते हुए अपील अपीलान्टस विरूद्ध रेस्पोडेन्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उक्त खातेदार फतेहसिंह, निहालसिंह पि0 श्यामलाल जाट एवं सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट के हिस्से को छोडते हुए तथा जिनके द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 एवं रेस्पोडेन्ट नं01 के हक में से कम करते हुए मृतक गिर्राज एवं उसकी पत्नि पीतम के स्थान पर वारिसान अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 के हक में पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित है। उक्त विवादित आराजीयात मृतक गिर्राज पुत्र मुण्डा जाति जाट निवासी खेडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी, जिसका विरासत का नामान्तकरण 340 अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट नं01 ता 3 एवं पीतम बेवा गिर्राज के हक में पटवारी हल्का द्वारा सही भरा गया था, किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत खेडा जमालपुर ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए गिर्राज की पुत्रियॉ अपीलान्ट का नाम हटाते हुए नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जो कानूनन वैध नहीं है। गिर्राज के द्वारा छोडी हुई समस्त आराजीयात में पुत्रियों अर्थात अपीलान्टस का भी बहिस्सा बराबर का हक था। ऐसे हालात में अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 340 फैंसल दिनांक 20.07.2004 इस हद तक निरस्त किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 564 रकबा 0.45 है0 ग्राम खेडा में निहालसिंह पुत्र श्यामलाल को हिस्सा 13/90 ,फतेहसिंह पुत्र श्यामलाल को हिस्सा 13/90 एवं सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह को हिस्सा 8/45, अपीलान्ट सं01 ता 4 को बहिस्सा बराबर हि0 20/45, रेस्पोडेन्ट नं02 को हिस्सा 2/45, रेस्पोडेन्ट नं03 को हिस्सा 2/45 जातियान जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा खसरा नम्बर 553 रकबा 0.40 है0, 565 रकबा 0.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम खेडा में सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट को हिस्सा 1/4, [illegible] बहिस्सा बराबर हि0 1/2 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 को बहिस्सा ब[illegible] 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नामान्तकरण [illegible] 340 फैसल दिनांक 20.07.2004 में दर्ज आराजीयात में से खसरा नम्बर 564 [illegible] 0.45 है0, 553 रकबा 0.40 है0, 565 रकबा 0.44 है0 ग्राम खेडा को छो[illegible] हुए तथा उक्त खसरा नम्बरान के अलावा नामान्तकरण नं0 340 फैंसल दिनांक 20.07.2004 के आधार पर रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

नं01 ता 3 एवं उनकी मांता पीतम के नाम जिन खसरा नम्बरों की खातेदारी हुई एवं उनमें से अन्य किसी दीगर व्यक्ति को जिस खातेदार ने विक्रय किया गया है एवं केता के द्वारा जिन खसरा नम्बरान की भूमि को खरीद किया गया है उन खसरा नम्बरान का पुनः नामान्तकरण नहीं भरा जावे तथा विकेता को उतना ही रकबा कम दिया जावे। शेष आराजीयात का पुनः नामान्तकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं01 ता 3 के हक में भरकर तस्दीक करें तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 अतरसिंह पुत्र गिर्राज को 0.16 है0 भूमि हिस्से में कम देवे तथा खसरा नम्बर 564 रकबा 0.45 है0, 553 रकबा 0.40 है0, 565 रकबा 0.44 है0 ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन के बाबत् पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। नामान्तकरण सं0 340 में दर्ज आराजीयात में अपीलान्टस का जितना हिस्सा बनता है उतना ही रकबा का अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण भरा जावे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.2021

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.02 10:51:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner